रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 1993/चैत्र 8, 1915
No. 187] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 1993/CHAITRA 8, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

प्रधान समाहर्ता, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय

अधिसूचना

हैदराबाद, 5 मार्च, 1993

का. आ. 207 (अ):—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 6-4-90 तथा 18-6-90 की अधिसूचना सं. 16/92 सीमा शुल्क (एन.टी.)

तथा 34/90 सीमा शुल्क (एन. टी.) अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आन्ध्र प्रदेश राज्य के गुन्टूर जिले के मेडुकोन्डूरु मंडल के डोकीपरु ग्राम की औद्योगिक विकास विभाग, औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित समिति प्रयोजनार्थ शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम स्थापित करने के लिए भण्डागार स्टेशन घोषित किया जाता है ।

[सं. 9/93-सीमा शुल्क (एन. टी.) (एच. जेड.)]
जे. रामकृष्णन, प्रधान समाहर्ता

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

OFFICE OF THE PRINCIPAL COLLECTOR OF CUSTOMS & CENTRAL EXCISE

NOTIFICATION

Hyderabad, the 5th March, 1993

S.O. 207(E).—In exercise of the powers conferred by Notification No. 16/92-Customs (NT) dated 6-4-90 and No. 34/90-Customs (NT) dated 18-6-'90 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi 'DOKIPARRU' Village in Medukonduru Mandal, Guntur District in the State of Andhra Pradesh is hereby declared to be a warehousing station under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for the limited purpose of setting up 100% Export Oriented Undertakings approved by the Government of India, Ministry of Industry, Department of Industrial Development, Secretariat for Industrial Approvals, New Delhi.

[No. 9/93-Customs(NT)(HZ)]
J. RAMAKRISHNAN, Principal Collector

अधिसूचना

हैदराबाद, 17 मार्च, 1993

का. आ. 208(अ):—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दि. 6-4-90 तथा 18-6-90 की अधिसूचना सं. 16/90 सीमाशुल्क (एन. टी.) तथा 34/90 सीमाशुल्क (एन. टी.) अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आन्ध्र प्रदेश राज्य के रंगारेड्डी जिले के सिरी-

सिंगमपल्ली मंडल के "गचीबोली" ग्राम को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग, सॉफ्टवेयर टेक्नॉलोजिकल पार्क, हैदराबाद द्वारा अनुमोदित सीमित प्रयोजनार्थ शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम स्थापित करने के लिए भण्डागार स्टेशन घोषित किया जाता है ।

[सं. 10/93-सीमाशुल्क (एन. टी.) (एच.जेड)]

जे. रामकृष्णन, प्रधान समाहर्ता

NOTIFICATION

Hyderabad, the 17th March, 1993

S.O. 208(E).—In exercise of the powers conferred by Notification No. 16/90-Customs (NT) dated 6-4-90 and No. 34/90-Customs (NT) dated 18-6-90 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi 'GACHIBOWLI' Village in Serilingampally Mandal, Ranga Reddy District in the state of Andhra Pradesh is hereby declared to be a warehousing station under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for the limited purpose of setting up 100% Export Oriented Undertakings approved by the Government of India, Department of Electronics, Software Technology Park, Hyderabad.

[No. 10/93-Customs (NT)(HZ)]

J. RAMAKRISHNAN, Principal Collector

अधिसूचना

हैदराबाद, 19 मार्च, 1993

का. आ. 209(अ):—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दि. 6-4-90 तथा 18-6-90 की अधिसूचना सं. 16/90 सीमाशुल्क (एन. टी.) तथा 34/90 सीमा शुल्क (एन. टी.) अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आन्ध्र प्रदेश राज्य के ईस्ट गोदावरी जिले के द्वीप पोलावरम मंडल के भैरवलंका ग्राम को भारत सरकार के औद्योगिक विकास विभाग, औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित सीमित प्रयोजनार्थ शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम स्थापित करने के लिए भण्डागार स्टेशन घोषित किया जाता है।

[सं. 11/93-सीमाशुल्क (एन. टी.) (एच. जैड)]

जे. रामकृष्णन, प्रधान समाहर्ता

NOTIFICATION

Hyderabad, the 19th March, 1993

S.O. 209(E).—In exercise of the powers conferred by Notification No. 16/90-Customs (NT) dated 6-4-90 and No. 34/90-Customs (NT) dated 18-6-90 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi, 'BHAIRAVALANKA' Village, Island Polavaram Mandal, East Godavari District, Andhra Pradesh is hereby declared to be a warehousing station under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for the limited purpose of setting up 100% Export Oriented Undertakings, approved by the Government of India, Ministry of Industry, Department of Industrial Development, Secretariat of Industrial Approvals, New Delhi.

[No. 11/93-Customs (NT)(HZ)]

J. RAMAKRISHNAN, Principal Collector.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993